[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 28 /201**9**- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई, 2019

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2917 36 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 मई, 2015, जिसे सा.का.नि. 429(अ), दिनांक 27 मई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/36/2018-डीजीटीआर, दिनांक 31 अक्तूबर, 2018, जिसे दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष, जिसे अधिसूचना संख्या 7/36/2018-डीजीएडी, दिनांक 28 जून, 2019 जिसे दिनांक 28 जून, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित, में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

(1) विषयगत माल का फालतू आयात हो रहा है और यदि यह शुल्क खत्म कर दिया जाता है तो इस प्रकार का आयात भारतीय बाजार में बहुत ही कम कीमत पर होने की संभावना है;

(2) खास डपिंग मार्जिन, इंन्जुरी मार्जिन, भारी मात्रा में आयात, कीमतों में सकारात्मक कटौती, भारतीय बाजार की आकर्षक कीमतें, घरेलू उद्योग को निवेश पर कम प्रतिफल और निर्यातकों की अतिरिक्त क्षमता जैसे प्रतिमान सामूहिक अैर संचित रूप से यह दर्शाते हैं कि यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है । यदि वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाए तो घरेलू उद्योग की स्थिति के बिगड़ने की संभावना है;

(3) विषयगत देश से यदि फालतू आयात होता है तो घरेलू उद्योग का कामकाज गड़बड़ हो सकता है । इस प्रकार इस प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया जाना जरूरी है;

(4) घरेलू उद्योग ने स्वयं इस शुल्क को जारी रखने की मांग की है । अत: प्राधिकारी अपनी मूल जांच में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जैसा लगाया गया था उसी स्तर पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखना उचित होगा ।

और घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को लगाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट

देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में तथा कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2917 36 00	प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड*	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	हांवा जनरल कैमिकल कंपनी लिमिटेड	ह्यूसंग टीएनसी कार्पोरेशन	27.32	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	2917 36 00	प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड*	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	टेकवांग इंडस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड	टेकवांग इंडस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड	23.61	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	2917 36 00	प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड*	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई भी संयोजन		78.28	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	2917 36 00	प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड*	कोरिया गणराज्य	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	78.28	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	2917 36 00	प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड*	जिन देशों पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है उनसे भिन्न कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	कोई भी	78.28	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	2917 36 00	प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड*	थाईलैंड	थाईलैंड	इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड	इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड	45.43	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

7.	2917 36 00	प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड*	थाईलैंड	थाईलैंड	टीपीटी पेट्रोकेमिकल्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड	टीपीटी पेट्रोकेमिकल्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड	45.43	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8.	2917 36 00	प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड*	थाईलैंड	थाईलैंड	उपर्युक्त क्रम संख्या 6 और 7 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई भी संयोजन		62.55	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9.	2917 36 00	प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड*	थाईलैंड	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	62.55	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10.	2917 36 00	प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड*	जिन देशों पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है उनसे भिन्न कोई देश	थाईलैंड	कोई भी	कोई भी	62.55	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

******जिसमें इसके अन्य प्रकार – मीडियम क्वालिटी* **टेरे**फ्थेलिक एसिड *(एम. टी. ए.) तथा क्वालिफाइड* **टेरे**फ्थेलिक एसिड *(क्यू. टी. एम.) शामिल हैं।*

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/95/2015 –टीआरयू (पार्ट–I)]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार